—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों —— प्रार्थीया
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 29/4/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक बड़ोपल बारानी के खाता स.673/627 के खसरा स. 2087/906 की कुल 12.650 हैक बारानी—1 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो प्रति जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की नोईयत को समझने के लिए प्रार्थी व अप्रार्थी स.1 व 2 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 व 2 के पिता महरूम सुल्मान खां पुत्र महरूम गोमा, जाति मुसलमान राठ, साकिन बडोपल, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ जो कि मुस्लिम (सुन्नी) विधि से शासित होते है, का इन्तकाल दिनांक 24.03.2019 को हुआ। प्रार्थी व अप्रार्थी स.1 व 2 की माता बशीरा बैगम का इन्तकाल भी पूर्व में हो चुका है। जिसके नुत्फे से प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 व 2 पैदा हुए। यह कि प्रार्थी ने दिनांक 31.10.2025 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी प्राप्त की तो प्रार्थी सर्वप्रथम ज्ञान हुए कि अप्रार्थीगण द्वारा महरूम सुल्तान खां की मृत्यु होने के पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा महरूम सुल्तान खां के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि को बहिस्सा बराबर का अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया है। अप्रार्थीगण को यह ज्ञान था कि वे मुस्लिम (सुन्नी) विधि से शासित होते है, फ़िर भी इस कानूनी स्थिति को राजस्व अधिकारीयों से छिपाकर असदभावनापूर्वक उक्त वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थीगण ने बहिस्सा बराबर का हक बतलाते हुए अपने नाम से विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवा लिया व इस समस्त कार्यवाही को प्रार्थी से संगुप्त रखा। प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 व 2 मुस्लिम (सुन्नी) विधि के अनुसार पिता की भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करने के ही अधिकारी थे। मुस्लिम (सुन्नी) विधि अनुसार पिता की भूमि में प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक पुत्र से आधे हिस्से का निर्धारण किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रारम्भ से ही इस विधिक स्थिति को मानते हुए प्रार्थी को उसके हिस्सा की भूमि का कब्जा दिया हुआ है। जिस पर प्रार्थी निर्विवाद रूप से काबिज होकर कृषि भूमि में काश्त करता आ रहा है। ऐसा नामान्तरण चुंकि अविधिक तौर पर सभी वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज

हुआ है, जो कि मुस्लिम (सुन्नी) विधि उतराधिकार के पूर्णतः विपरित होने सें मूलतः ही अवैद्य व शुन्य है।

यह कि अप्रार्थीया स. 2 ने ईद के अवसर पर दिनांक 13.05.2021 को अपने पूर्ण होश हवास एवं स्वतंत्र इच्छा से बिना प्रलोभन के तहसील पीलीबंगा के चक बडोपल बारानी के खाता 73/627 के खसरा स. 2087/906 की कुल 12.650 हैक. बारानी–1 में से अपने सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा जो उसे मुस्लिम (सुन्नी) विधि के अनुसार न्यायगत हुआ, को प्रार्थी के पक्ष में मौखिक हिबा के रूप में दे दिया था। उक्त कृषि भूमि के मौखिक हिबा के समय गवाह मुन्सफ खां पुत्र अकबर, साकिन ठाकरूवाला, तहसील पीलीबंगा फलकशेर पुत्र दोने खां, साकिन बडोपल, तहसील पीलीबंग, इकबाल पुत्र खैरदीन, साकिन बडोपल ढाणी, तहसील पीलीबंगा व अन्य जात बिरादरी के व्यक्ति प्रमुख रूप से मौजूद थे। उक्त मौखिक हिबा में अप्रार्थी स.2 ने उक्त भूमि का कब्जा भी प्रार्थी को सम्भलवा दिया। उक्त हिबा को प्रार्थी ने स्वीकार किया तथा हिबा उपरांत से ही प्रार्थी उक्त भूमि का निरंतर कब्जेदार एवं भोगकर्ता है। उक्त स्थिति के अप्रार्थी स.2 का राजस्व अभिलेख में नामान्तरण प्रार्थी के हकुक खातेदारी पर निष्प्रभावी एवं बेअसर है। प्रार्थी उक्त भूमि में अप्रार्थी स. 2 के हिस्सा को प्राप्त करने का अधिकार है।

यह कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा से अधिक नामान्तरण दर्ज है जो पूर्णतया गलत व विधिविरूद्ध है। मुस्लिम (सुन्नी) विधि के अनुसार हिस्सेदारों को बहिस्सा बराबर का हक प्राप्त नही होने चलते प्रार्थी मुताबिक मुस्लिम (सुन्नी) विधि हक व हिस्सा की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है व अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में हिबा होने के चलते अप्रार्थी स.2 का सम्पूर्ण हिस्सा की घोषणा प्रार्थी के पक्ष में करवाने व अप्रार्थी स.2 का नाम कलमजन करवाकर प्रार्थी वाद पत्र की चरण स.2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 3/5 हिस्सा अर्थात 7.59 हैक. व अप्रार्थी स.1 का 2/5 हिस्सा अर्थात 5.06 हैक्. प्राप्त करने का अधिकारी है व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य बट, सिव व रकमराज को लेकर विवाद न हो इस कारण प्रार्थी अच्छी– मन्दी अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थीगण बदनियत होकर अपने नाम अभिलेखित प्रार्थना पत्र की चरण स.2 में वर्णित कृषि भूमि दीगर व्यक्तियों के पक्ष में अंतरित करने व प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदाजी करने व प्रार्थी को उसके कब्जा की कृषि भूमि से बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। अप्रार्थीगण अगर अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी। इस अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वे प्रार्थना पत्र की चरण स.2 में अंकित कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों के पक्ष में रहन बैय व अन्य रिति से अन्तरित करने व प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने से निषिद्व रहे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सः2 में कृषि भूमि विधि अनुसार अपने–अपने हक व हिस्सा की खातेदारी घोषणा, खाता विभाजन करवाने से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं विशिष्ट किलो का बैचान करने से निषिद्व रहे व प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने से निषिद्व रहे ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण ता फैसला वाद इस आशय की जारी की जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण स. 2 में कृषि भूमि विधि अनुसार अपने–अपने हक व हिस्सा की खातेदारी घोषणा, खाता विभाजन करवाने से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं विशिष्ट किलो का बैचान करने से निषिद्व रहे व प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने से निषिद्व रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 व 2 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं0 1व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त वाद भूमि प्रार्थी रिकार्डिड खातेदार

बताया तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 वाद भूमि को खाता विभाजन से पूर्व रहन–बैय यदि अप्रार्थी सं0 1 व 2 करने पर कामयाब होता है तो प्रार्थी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों का अवलोकन किया गया। चक बड़ोपल बारानी के खाता स.673/627 के खसरा स. 2087/906 की कुल 12.650 हैक बारानी–1 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश चाहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति होना प्रतित नहीं होता है। प्रार्थी ने वाद भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु न्यायालय हाजा में राजस्थान का'तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थी के हक हिस्सों का निर्धारण उक्त वाद में साक्ष्य सबूतों के लेखबद्ध होने के उपरातं ही होना है। अतः वाद भूमि पैतृक संपति जाहिर नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय अस्थाई निंषेधाज्ञा दिनांक 03.11.2025 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनाकं 29/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा